न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

परिवाद संख्या 55/2025

श्री मनोज कुमार सिन्हा, खाद्य संरक्षा अधिकारी, उप रेल्वे, अजमेर
(कार्यालय अभिहित अधिकारी, अपर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, चिकित्सा विभाग, उत्तर पश्चिम रेल्वे (मुख्यालय), जयपुर)

.........*प्रार्थी*

बनाम

1. श्री सुमीत गुप्ता पुत्र श्री रमेश चन्द, वेण्डर – स्वीट नमकीन ट्रॉली नम्बर 17, मैसर्स रमेश कुमार, प्लेटफार्म नम्बर 4/5, रेल्वे स्टेशन, अजमेर (खाद्य कारोबारकर्ता/प्रबन्धक)
(स्थायी पता – मकान नम्बर 630, शिव नगर, फॉयसागर रोड, अजमेर)
2. श्री रमेश कुमार पुत्र श्री चैनाराम, स्वीट नमकीन ट्रॉली नम्बर 17, मैसर्स रमेश कुमार, प्लेटफार्म नम्बर 4/5, रेल्वे स्टेशन, अजमेर (खाद्य कारोबारकर्ता/लाईसेन्सी)
(स्थायी पता – मकान नम्बर 529, गुलाब शाह का तकिया, तोपदड़ा, अजमेर)

........*अप्रार्थी*

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2) (II) एवं धारा 51के तहत

उपस्थित : अप्रार्थीगण की ओर से अप्रार्थी संख्या 1 स्वयं

–: आदेश :–

दिनांक–12.09.2025

शासन उप सचिव, कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प.1(2) कार्मिक/क–4/08 दिनाक 05.04.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए जिलो मे कार्यरत अति. जिला मजिस्ट्रेट को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्य क्षेत्र मे लिए न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप खाद्य संरक्षा अधिकारी, उप रेल्वे, अजमेर कार्यालय अभिहित अधिकारी, अपर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, चिकित्सा विभाग, उत्तर पश्चिम रेल्वे (मुख्यालय) जयपुरनेने अप्रार्थी के विरुद्ध एक परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया क्रि अप्रार्थी नेअवमानक (सब स्टेण्डर्ड) पेठा (लूज) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (II)का उल्लंघन किया है, जिसके फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51मे जुर्माना निर्धारित हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आवेदन, हाजरी माफी, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य क्षेत्र नोटिफिकेशन की प्रति पदस्थापन आदेश, माल खरीदबिल असल, फार्म नम्बर 5ए असल, फर्द रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 6 असल एवं प्राप्ति रसीद (पुस्त पर) खाद्य विश्लेषक अंजमेर द्वारा खाद्य नमूना एवं फार्म नम्बर 6 द्वितीय प्रति की प्राप्ति रसीद, अभिहित अधिकारी द्वारा खाद्य नमूना के तीन भाग की रसीद, खाद्य विश्लेषक जयपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट, व अन्य दस्तावेजों की प्रति संलग्न कर प्रस्तुत की गयी।

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर

न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 22.08.2024 को 15:30 पर खाद्य संरक्षा अधिकारी मैसर्स रमेश कुमार, स्वीट नमकीन ट्रॉली नम्बर 17, रेल्वे स्टेशन प्लेटफार्म संख्या 04/05, अजमेर पर निरीक्षण हेतु पहुँचे।विक्रेता की हैसियत से श्री सुमीत गुप्ता मौके पर उपस्थित मिले। विक्रेता से खाद्य अनुज्ञा पत्र मांगने पर उसने अनुज्ञा पत्र प्रस्तुत कर दिया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निरीक्षण के समय एक पॉली बैग में पेठा लूज लगभग 03 किलोग्राम आम जनता कों विक्रय हेतु रखी हुई मिली।उक्तपेठा (लूज) की गुणवत्ताका शक होने पर उनमे से नमूना जॉच हेतु 500 ग्राम के 04 पैकेट, 320/– रूपयें श्री सुमीत गुप्ता को नगद देकर गवाह श्री गोपाल आर के समक्ष क्रय किया जाकर खाद्य संरक्षा अधिकारी द्वारा मौके पर फार्म नम्बर 5ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार करके इसकी एक प्रति अप्रार्थी श्री सुमीत गुप्ता को सम्भलाकर रसीद प्राप्त की। खरीदशुदा पेठा लूज के चार नमूना भाग (प्रतयेक नमूना भाग में 500 ग्राम) तैयार कर विक्रेता के सामने लेबल लगाये। चारों नमूनों को भूरे कागज में लपेट कर एवं गोन्द से चिपकाने के पश्चात लेबल पर अभिहित अधिकारी उ प रेल्वे जयपुर के हस्ताक्षरशुदा स्लिप नम्बर एन डब्ल्यू आर 1281 चिपकाने संबंधी कार्यवाही करने के बाद लिये गये नमूनों को अपने जाप्ते मे लेने के पश्चात् मौके पर ही फार्म नम्बर 6 की 8 प्रतियां तैयार की। सील किये गये नमूने मे से एक नमूना फार्म संख्या 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर, खाद्य विश्लेषक, राजस्थान अजमेर को श्री गोपाल आर, सामान्य सहायक के द्वारा जमा कराकर रसीद प्राप्त की। दो फार्म नम्बर 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपड़ी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक, अजमेर को को स्वंय जमा कराकर रसीद प्राप्त की। शेष दो सील बन्द नमूना मय फार्म 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग डीओ एवं अति. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उप रेल्वे, अजमेर को स्वयं ने जमा कराकर रसीद प्राप्त की। प्रार्थी खाद्य संरक्षा अधिकारी द्वारा विक्रेता से पेठा लूज (जिसका नमूना लिया गया था) का माल खरीद बिल मांगे जाने पर विक्रेता ने उक्त बिल की प्रति उपलब्ध नहीं करवायी।

खाद्य संरक्षा अधिकारी ने परिवाद मे यह भी उल्लेख किया है कि अभिहित अधिकारी एवं अपर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उप रेल्वे, जयपुर के पत्र क्रमांक मेड/एच/605/एफएसएसए/लैब रिपोर्ट्स/एनडब्ल्यूआर–1281 दिनाक 03.09.2024 के अनुसार खाद्य विश्लेषक, राजस्थान अजमेर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट सं. एलएस/963/एक्ट/2024/985दिनांक 29.08.2024 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते जॉच विक्रय किया गया पेठा लूज अवमानक (सब स्टेण्डर्ड) होना पाया गया। अप्रार्थी श्री श्री सुमीत गुप्ता द्वारा पुनः जाँच हेतु आवेदन प्रस्तुत नही करने पर। खाद्य संरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने का परिवाद इस न्यायालय मे दिनांक11.08.2025 को प्रस्तुत किया।

खाद्य संरक्षा अधिकारी से प्रकरण प्राप्त होने पर दिनांक 11.08.2025को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को विधिवत नोटिस जारी कर अपना पक्ष कार्यालय हाजा मे स्वयं या उनके प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु पाबन्द किया गया।

नियत पेशी को अप्रार्थीगण की ओर से श्री सुमीत गुप्ता ने लिखित प्रत्युत्तर प्रस्तुत कर बहस का निवेदन किया। उनकी बहस सुनी गयी। अप्रार्थी ने कथन किया कि उनकी ट्रॉली से लिया गया पेठा का नमूना जाँच में अवमानक (सब स्टेण्डर्ड) पाया गया। तत्समय नियमों की जानकारी नहीं होने के कारण उक्त नमूना अवमानक पाया गया। उन्होने यह भी कथन किया कि पेठा उनके द्वारा निर्मित नहीं किया जाकर बाजार से खरीद कर उनकी ट्रॉली से रेल यात्रियों को बेचा जाता है। प्रत्यक्ष रूप से वे इसके लिए दोषी नहीं है। वे इसी ट्रॉली से ही अपने परिवार का जीवनयापन कर रहे है। अतः कम से कम जुर्माना लगाकर प्रकरण का निस्तारण करावे।

हमने पत्रावली एवं खाद्य संरक्षा अधिकारी द्वारा दिये गये परिवाद एवं अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रत्युत्तर व लिखित बहस का अवलोकन किया। खाद्य संरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किये गये परिवाद से यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी द्वारा वास्ते नमूना

न्याय निर्णायक अधिकारी अजमेर

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर

जॉंच हेतु विक्रय किया गया पेठा लूज अवमानक(सब स्टेण्डर्ड) पाया गया है।परिवाद मे वर्णित तथ्यों एवं संलग्न दस्तावेजो खाद्य विश्लेषक, अजमेर की जॉंच रिपोर्ट के आधार पर विक्रय किया गया पेठा लूजअवमानक (सब स्टेण्डर्ड) होना पाया गया, जिसके लिए अप्रार्थी दोषी प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) के तहत अवमानक (सब स्टेण्डर्ड) खाद्य पदार्थ बेचने का दोषी हैं। जिसके लिए उपरोक्त अधिनियम की धारा 51में अवमानक (सब स्टेण्डर्ड)पाये जाने पर शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान किया हुआ है।

अप्रार्थी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 और विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन करने एवं अपराध कारित होने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा के अन्तर्गत अप्रार्थीगण पर रु. कुल **10,000/–** **(दस हजार)**शास्ति आरोपित की जाती है।

अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ति राशि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर के नाम ई ग्रास चालान के माध्यम से निर्णय दिनांक 12.09.2025 के एक माह के अन्दर राजकोष में जमा कराकर रसीद प्राप्त करे।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 12.09.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(ज्योति कुकवानी)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर
दिनांक :

क्रमांक :सरिस्ता/अपर/2025/

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर।
2. संयुक्त खाद्य सुरक्षा आयुक्त, उत्तर पश्चिम रेल्वे (मुख्यालय), जयपुर
3. अभिहित अधिकारी एवं अपर मुख्य चिकित्सा निदेशक, उत्तर पश्चिम रेल्वे (मुख्यालय) जयपुर
4. खाद्य संरक्षा अधिकारी, मण्डल रेल्वे अस्पताल, ब्यावर रोड, अजमेर।
5. श्री सुमीत गुप्ता पुत्र श्री रमेश चन्द, वेण्डर – स्वीट नमकीन ट्रॉली नम्बर 17, मैसर्स रमेश कुमार, प्लेटफार्म नम्बर 4/5, रेल्वे स्टेशन, अजमेर (खाद्य कारोबारकर्ता/प्रबन्धक) (स्थायी पता – मकान नम्बर 630, शिव नगर, फॉयसागर रोड, अजमेर)
6. श्री रमेश कुमार पुत्र श्री चैनाराम, स्वीट नमकीन ट्रॉली नम्बर 17, मैसर्स रमेश कुमार, प्लेटफार्म नम्बर 4/5, रेल्वे स्टेशन, अजमेर (खाद्य कारोबारकर्ता/लाईसेन्सी) (स्थायी पता – मकान नम्बर 529, गुलाब शाह का तकिया, तोपदड़ा, अजमेर)

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर

न्याय निर्णायक अधिकारी
अजमेर